पंचायत समिति अम्ब, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025
भाग-एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के द्दष्टिगत पंचायत समिति अम्ब, विकास खंड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत समिति अम्ब में निम्नलिखित अध्यक्ष / कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे:-

अध्यक्ष:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमति सुनीता धीमान	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

खण्ड विकास अधिकारी:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री ओम पाल डोगरा	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

सचिव पंचायत समिति अम्ब :-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री सुरिंद्र कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

पंचायत समिति अम्ब, विकास खण्ड अम्ब के लेखों अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैं :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में) (₹)
1	4(I)	रोकड़ बही व बैंक शेषों में भारी अन्तर	105.98
2	6.1	अनुदान से व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	83.25
3	6.2	अनुदान की राशि उपयोग हेतु शेष	365.17
4	7.1	दुकानों के किराये की वसूली न करना	23.89
5	7.2	किराये पर दी गई दुकानों के मासिक किराये में नियमानुसार GST की वसूली न करने बारे	1.76
6	7.3	दुकानों को किराये पर आबंटित न करने के कारण वित्तीय हानि	3.85

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

पंचायत समिति अम्ब के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की सत्यापनार्थ उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2016 से 31.03.2022 :-

1	पैरा – 4(i)	अनिर्णीत	
2	पैरा – 4(ii)	अनिर्णीत	
3	पैरा – 5	अनिर्णीत	
4	पैरा – 6	अनिर्णीत	
5	पैरा- 7(2)(3)	अनिर्णीत	
7	पैरा – 8	अनिर्णीत	
8	पैरा – 9	अनिर्णीत	
9	पैरा – 10	अनिर्णीत	
10	पैरा – 11	अनिर्णीत	

11	पैरा – 12	अनिर्णीत	
12	पैरा – 13	अनिर्णीत	
13	पैरा – 14	अनिर्णीत	
14	पैरा – 15	अनिर्णीत	
15	पैरा – 16	अनिर्णीत	
16	पैरा – 17	अनिर्णीत	
17	पैरा – 18	अनिर्णीत	
18	पैरा – 20	अनिर्णीत	
20	पैरा – 21	अनिर्णीत	
21	पैरा – 22	अनिर्णीत	

(ii)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 :-

1	पैरा – 3	निर्णीत	समिति द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹10,000/- को बैंक ड्राफ्ट संख्या 807519 दिनांक 30-9-2024 द्वारा जमा करवा दिया गया था।
2	पैरा – 4(i)	अनिर्णीत	
3	पैरा – 4(ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा – 5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में पुनः प्रारूपित।
5	पैरा – 6	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 में दर्शा दी गई है।
6	पैरा – 7	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.3 में दर्शा दी गई है।
7	पैरा – 8	अनिर्णीत	
8	पैरा – 9	अनिर्णीत	
9	पैरा – 10	अनिर्णीत	
10	पैरा – 11	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में दर्शा दी गई है।

11	पैरा – 12	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.2 में दर्शा दी गई है।
12	पैरा – 13	अनिर्णीत	
13	पैरा – 14	अनिर्णीत	
14	पैरा – 15	अनिर्णीत	
15	पैरा – 16	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित।
16	पैरा – 17	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुनः प्रारूपित।
17	पैरा – 18	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में दर्शा दी गई है।
18	पैरा – 19	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 13 में दर्शा दी गई है।

भाग-दो

2) वर्तमान अंकेक्षण :-

पंचायत समिति अम्ब, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री जीवन कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 05.07.2024 से 09.07.2024 तक पंचायत समिति अम्ब के कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतू आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2024-25	07/2024	07/2024

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत समिति अम्ब के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

पंचायत समिति अम्ब, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/- बनता है | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 98/25 दिनांक 09.07.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत समिति अम्ब द्वारा पंजाब एन्ड सिंध बैंक अम्ब ड्राफ्ट संख्या 807642 दिनांक 23.7.2025 द्वारा उक्त शुल्क की राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **वित्तीय स्थिति :-**

पंचायत समिति अम्ब, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है |

1) स्वयं स्त्रोत :-

वित्तीय स्थिति							
1	2	3	4		5	6	7
क्र0 सं0	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय(₹)**	**ब्याज(₹)**	**कुल आय(₹)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष(₹) (5-6)**
1	**2024-25**	**21983253.59**	**1098141**	**41472**	**23122866.59**	**1871043.6**	**21251822.99**

बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पंचायत समिति अम्ब के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों का अंतशेष रहा :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(के) का अंतशेष	**21251822.99**
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**2643301.47**
3)	सावधि जमा योजना में निवेश	**12665990**
4)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	**6812**
5)	**कुल योग (2+3+4)**	**15316103.47**
6)	**अन्तर (1-4)**	**5935719.52**

2) अनुदान (5th GIA) :-

	वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4		5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय(₹)	ब्याज(₹)	कुल आय(₹)	व्यय(₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2024-25	17528972	50332289	287461	68148722	47242364	20906358

दिनांक 31.03.2025 को अन्तिम शेष का विवरण :-

बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पंचायत समिति अम्ब के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों का अंतशेष रहा :-

1	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(2) का अंतशेष	**20906358.00**
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**16243586.00**
3	सावधि जमा में योजना में निवेश	0
4	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	0
	कुल योग (2+3+4)	**16243586.00**
	अन्तर (1-4)	**4662772**

Note: पंचायत समिति द्वारा अनुदान (5th GIA) का रोकड़ बही का रख रखाव वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलग से किया गया है।

3. होली मैडी मेला:-

वित्तीय स्थिति							
1	2	3	4		5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय(₹)	ब्याज (₹)	कुल आय (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (5-6) (₹)
1	2024-25	5991255	0	423001	6414256	0	6414256

दिनांक 31.03.2025 को अन्तिम शेष का विवरण :-

क्रम	बैंक का नाम व खाता संख्या	राशि (₹)
1	**दिनांक 31.03.2025 को** रोकड़ बही खाता **अन्तिम शेष**	**6414256.50**
2	बैंक का अन्तशेष सेंट्रल बैंक आफ इंडिया अम्ब 3242831416	**6414256.50**
	योग	**6414256.50**
3	सावधि जमा में योजना में निवेश	0
4	हस्तगत राशि	0
	कुल योग (2+3+4)	**6414256.50**
	अन्तर (1-5)	**0**

4) 15 वां वित्त आयोग:-

वित्तीय स्थिति							
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय(₹)**	**ब्याज (₹)**	**कुल आय (₹)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (5-6) (₹)**
1	2024-25	12815874	10546308	573054	23935236	8325033	15610203

दिनांक 31.03.2025 को अन्तिम शेष का विवरण :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम व खाता संख्या	राशि (₹)
1	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही का अंतशेष	**15610203**
2	आई.सी.आई.सी.आई.बैंक अम्ब 237901000491	15610203
	योग	15610203
3	सावधि जमा में योजना में निवेश	0
4	हस्तगत राशि	0
5	**कुल योग (2+3+4)**	0
	अन्तर (1-5)	**0**

4.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का राशि ₹105.98 लाख का अन्तर :-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत समिति अम्ब द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 नियम 15 (10) व् नियम 16 के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2025 को उपरोक्त पैरा 4(1 व 2) के अनुसार **₹10598491.52** की राशि का अन्तर पाया गया इस कारणवश यह पंचायत समिति अम्ब की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत समिति अम्ब द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97(II) /2025 दिनांक 09.07.2025 द्वारा उक्त अनियमितता द्वारा संस्था को अवगत करवाया गया और इसके प्रतिउत्तर दिनांक 09.7.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक होने के दृष्टिगत इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15 (12) के अनुसार पंचायत समिति की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। परन्तु पंचायत समिति अम्ब के लेखों के अवलोकन में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है। लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है। लेकिन पंचायत समिति द्वारा बैंक समाधान विवरणी प्रति माह तैयार नहीं की गई है। अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक माह के अंत में बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

4.3 ई-ग्राम स्वराज" पोर्टल पर रोकड़ बहियों का अनुरक्षण न करना: -

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने, बहुमूल्य मानवश्रम की बचत करने तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा "ई-ग्राम स्वराज" के नाम से राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल https://egramswaraj.gov.in/cashBookPublic.do का सँचालन किया जा रहा है जिसमें अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त पँचायत समिति के आय व्यय का ऑन लाईन लेखाँकन वर्चुअल रोकड़ बही में करने की सुविधा भी उपलब्ध है। परन्तु अँकेक्षण में पाया गया कि अवधि 04/2024 से 03/2025 तक पँचायत समिति द्वारा इस सुविधा का पूर्ण लाभ न उठाते हुये स्व: स्त्रोत की ऑनलाईन रोकड़ बही का निरन्तर अद्यतन नहीं किया जा रहा था। इस कारण सरकार द्वारा करोड़ों रूपये व्यय करके चलाये जा रहे "ई-ग्राम स्वराज" पोर्टल को स्थापित करना ही निरूद्देश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही को अनुरक्षित करने में व्यर्थ किये जा रहे बहुमूल्य मानवश्रम के कारण पँचायत समिति की अन्य गतिविधियाँ भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती हैं। अतः इस गम्भीर अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाये। उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 89/2025 दिनांक 05.07.2025 द्वारा संस्था को अवगत करवाया गया और इसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या डी डी.बी.ए./2024/25-2025-26-2089 दिनांक 09.7.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि भविष्य में सरकार द्वारा संचालित ई-स्वराज पोर्टल पर अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त पंचायत समिति की रोकड़ बही अनुसार आय – व्यय का ऑनलाइन इन्द्राज किया जाएगा अत: इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अम्ल में लाई जाए और आगामी अंकेक्षण को की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जाए।

5. सावधि जमा में निवेश बारे :-

अंकेक्षण अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान पंचायत समिति द्वारा चार रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया था, जिसके अंतर्गत स्वयं स्त्रोत से दिनांक 31.03.2024 तक **₹12665990.00** का निवेश एक वर्ष किया गया है, जिसे **सलंग्र परिशिष्ट "ख"** पर दर्शाया गया है| अंकेक्षण में पाया गया कि सावधि जमा में निवेश की गई राशि का विवरण सम्बन्धी रजिस्टर समिति द्वारा तैयार नही किया गया था। परिणामस्वरूप समिति की उक्त निधि की रोकड़ बही से निवेश कब किया गया था तथा उस पर प्राप्त ब्याज के गणना की जाँच नहीं की जा सकी | अतः सावधि जमा के अंतर्गत अंकेक्षण अवधि के दौरान निवेशित की गई राशि बारे 'सावधि जमा रजिस्टर' आगामी अंकेक्षण

में प्रस्तुत किया जाए | उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 93/2025 दिनांक 08.07.2025 द्वारा संस्था को अवगत करवाया गया जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या डी डी.बी.ए./2024/25-2025-26-2090 दिनांक 09.7.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विवरण सम्बन्धी रजिस्टर तैयार कर लिया जाएगा | इस संदर्भ में समिति सचिव को परामर्श दिया जाता है, कि आवश्यकता अनुसार खातों में जमा रख कर शेष राशि को सावधि जमा योजना में निवेश किया जाए जिससे कि समिति को अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्त हो सके |

6. अनुदान

6.1 अनुदान से ₹83.25 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, पंचायत समिति अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है। पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई 15 वें वित्त आयोग की अनुदानों की विवरणी **(परिशिष्ट-क)** के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 4/2024 से 3/2025 तक **₹8325033.00** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था। परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 96(I)/2025 दिनांक 09.07.2025 को जारी उक्त मामला पंचायत समिति अम्ब के ध्यान में लाया गया परन्तु पंचायत समिति द्वारा इस बारे कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टिकरण दिया जाए व उक्त वर्णित अभिलेख को संरक्षित करके अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान खाते में ₹365.17 लाख राशि शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 22 के अनुसार फडिंग एजेन्सी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत समिति द्वारा **परिशिष्ट-"क"** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार पंचायत समिति में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2025 को **₹36516561.00 (अनुदान + 15 वें वित्त का अंतिम शेष)** की राशि **(15 FC)** उपयोग हेतु शेष थी । इस राशि का इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 96/2025 दिनांक 09.07.2025 को जारी उक्त मामला पंचायत समिति

अम्ब के ध्यान में लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव पंचायत समिति अम्ब दारा अनेक्षण को अवगत करवाया गया कि कार्यालय में प्रस्तुत प्रस्ताव की माँग अनुरूप नियमानुसार राशि जारी की जा रही है। लम्बित अनुदान राशि में से कुछ कार्य प्रगति पर हैं । जिनकी दित्तीय व अंतिम किश्त जारी की जानी शेष है । जिनका पंचायत विकास कार्यों में शीघ्र उपयोग कर लिया जाएगा तथा आगामी अंकेक्षण में उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगा । अत: सुझाव दिया जाता है कि प्राप्त शेष अनुदानों की राशि को भविष्य में नियमानुसार व्यय किया जाये ।

7 स्वयं स्त्रोत

7.1 दुकानों के किराये के रूप में ₹ 23.89 लाख की वसूली शेष:-

सचिव पंचायत समिति अम्ब द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक दुकान किराया के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹2388619.00** वसूली हेतु शेष थी। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 95/2025 दिनांक 09.07.2025 द्वारा उक्त अनियमितता द्वारा संस्था को अवगत करवाया गया और इसके प्रतिउत्तर में पंचायत समिति सचिव ने अपने पत्र संख्या डी डी.बी.ए./2024/25-2025-26-2091 दिनांक 09.7.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत समिति अम्ब द्वारा वर्ष 2024-25 में **₹977360.00** रूपये दुकानों के किराए के रूप में वसूल किए गए हैं । दुकानों का शेष किराया वसूली हेतु व नवीनतम दरें लागू करने बारे आगामी त्रैमासिक बैठक में विचार किया जाएगा और दुकानों के किराए का मामला माननीय उच्च न्यायलय, शिमला में लम्बित होने के कारण दुकानदारों द्वारा किराया नहीं दिया जा रहा है । किराया वसूल करने के लिए पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक में विचार विमर्श करके, वसूली करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएँगे । दिया गया प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अम्ल में लाई जाए और अंकेक्षण को की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जाए ।

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2024-25	2486073.00	879906	3365979	977360	2388619

7.2 पंचायत समिति अम्ब द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के मासिक किराये में नियमानुसार ₹1.76 लाख की GST@18% की वसूली न करने बारे:

सचिव पंचायत समिति अम्ब द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक किराये की वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल वसूली **₹ 977360.00** की गई । परन्तु

उक्त दुकानों से प्राप्त किराये के रूप में प्राप्त आय पर नियमानुसार GST@18% की दर से **₹175924.00** की वसूली की जानी अपेक्षित थी। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त GST की राशि को दुकानदारों से प्राप्त नहीं किया गया है जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 94 /2025 दिनांक 08.07.2025 द्वारा संस्था को अवगत करवाया गया जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या डी डी.बी.ए./2024/25-2025-26-2090(I) दिनांक 09.7.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उक्त GST की राशि की भविष्य में वसूली कर ली जाएगी। अत: इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अम्ल में लाई जाए और आगामी अंकेक्षण को की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जाए।

7.3 दुकानों को किराये पर आबंटित न करने के कारण ₹3.85 लाख की वित्तीय हानि:-

सचिव, पंचायत समिति अम्ब द्वारा उपलब्ध करवांई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि पिछले कई वर्षों से खाली दुकानों को किराये पर आबंटित करने हेतु कोई भी कार्यवांही अमल में नही लाई गई। परिणामस्वरूप दुकानों को किराये पर न आबंटित करने के कारण पंचायत समिति को दिनांक 31-3-2025 तक **₹384720.00** की वित्तीय हानि हुई। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति अम्ब द्वारा निम्न विवरणानुसार दुकाने किराये पर आबंटित न करने व खाली रखने के कारण किराया आय के रूप में पंचायत समिति अम्ब को लगभग **₹384720.00** की वित्तीय हानि हुई:-

क्रम संख्या	**दुकान संख्या व परिसर का नाम**	**पुराना मासिक किराया**	**जिस अवधि के लिए दुकानें खाली रही**	**जितने माह दुकानें खाली रही**	**किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि (₹)**
1	3, चुरड़ू	500	01.07.2007 से 31.3.25	213 माह	106500
2	9, चुरड़ू	600	21.09.2018 से 31.03.25	78 माह	46800
3	14, नैहरी	1330	1.10.2010 से 31.3.25	174 माह	231420
				योग	**384720**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97(I)/2025 दिनांक 09.07.2025 द्वारा उक्त अनियमितता द्वारा संस्था को अवगत करवाया गया और इसके प्रतिउत्तर में पंचायत समिति सचिव ने अपने पत्र संख्या डी डी.बी.ए./2024/25-2025-26-2092(I) दिनांक 09.7.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त दुकानें अभी तक खाली पड़ी है और शीघ्र ही उचित कार्यवाही करते हुए उक्त दुकानों को किराये पर आबंटित कर दिया जाएगा | अत: उपरोक्त उल्लेखित दुकानें मासिक किराये पर आबंटित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दुकानों को मासिक किराये पर आबंटित न करने के कारण किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि **₹384720.00** को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए और इसके साथ खाली दुकानों को किराये पर देने हेतु प्रभावी कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत भी करवाया जाए |

8. निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखना व बैंक में देरी से जमा करवाए जाने बारे :-

पंचायत समिति की स्वयं स्त्रोत एवं अनुदान की स्वयं स्त्रोत रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत समिति अम्ब द्वारा निम्न विवरणानुसार निर्धारित सीमा ₹2500 से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 18 के अनुसार पंचायत समिति में केवल ₹2500 तक की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है | परन्तु पंचायत समिति अम्ब द्वारा उपरोक्त नियमों की अवहेलना की जा रही है और रोकड़ बही का रख रखाव भी नियमोनुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत समिति द्वारा लगभग ₹ 6812 को पूरा वर्ष हस्तगत राशि दर्शाया गया है परन्तु इसके विपरीत हजारों रुपये की प्राप्त राशि को नियमोनुसार बैंक में जमा नहीं करवाया गया जो एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

क्र. सं. 1.	प्राप्त आय की रसीद संख्या 2.	दिनांक 3.	आय के रूप में प्राप्त राशि (₹) 4.	प्राप्त राशि (₹) (Column 4) को रोकड़ बही में दर्ज करने की दिनांक 5.	प्राप्त राशि (Column 4) (₹) को बैंक में जमा करने की दिनांक 6.	रोकड़ बही में उक्त दिनांक (Column 3) को दर्शाई गयी हस्तगत राशि 7.
1.	246154	29.6.24	26500	5.7.24	1.7.24	6812
2.	246155	29.6.24	28320	5.7.24	1.7.24	6812
3.	246156	29.6.24	26598	5.7.24	1.7.24	6812
4.	246157	29.6.24	27302	5.7.24	1.7.24	6812

5.	246158	29.6.24	1991	5.7.24	1.7.24	6812
6.	246159	29.6.24	7458	5.7.24	1.7.24	6812
7.	246160	29.6.24	7470	5.7.24	1.7.24	6812
8.	246161	29.6.24	19980	5.7.24	1.7.24	6812
9.	246162	29.6.24.	7974	5.7.24	1.7.24	6812
10.	246165	01.7.24	1000	5.7.24	5.7.24	6812
11.	246166	4.7.24	8712	9.7.24	5.7.24	6812
12.	246171	27.7.24	32186	30.7.24	30.7.24	6812

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92/2025 दिनांक 07.07.2025 के प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या डी डी.बी.ए./2024/25-2025-26-2089(I) दिनांक 09.7.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत समिति द्वारा स्वयं स्तोत्रों से प्राप्त राशि (हस्तगत राशि) को शीघ्र ही बैंक में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में उक्त नियमों की पालना भी की जाएगी और इसके साथ प्रतिदिन प्राप्त नकदी को रोकड़ हस्तगत राशि में इंद्राज करते हुए रोकड़ बही का संधारण किया जाएगा। अतः इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अम्ल में लाई जाए और आगामी अंकेक्षण को की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जाए।

9. होला मेला मैड़ी की वर्ष 2024-25 में कोई भी आय न प्राप्त किए जाने बारे : -

अंकेक्षण में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंचायत समिति अम्ब को होला मेला मैड़ी से कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि पंचायत समिति अम्ब का यह मुख्य आय स्तोत्र रहा है। परन्तु वित्तीय वर्ष 2024-25 कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 97 /2025 दिनांक 09.07.2025 द्वारा संस्था से जानकारी मांगी गई जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव ने अपने पत्र संख्या डी डी.बी.ए./2024/25-2025-26-2092 दिनांक 09.7.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि अब होला मेला मैड़ी का प्रबंध उप-मंडलाधिकारी अम्ब द्वारा किया जाता है और पंचायत समिति अम्ब द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 12.3.2025 के अनुसार वापिस यह मेला पंचायत समिति द्वारा किए जाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं इसलिए वर्ष 2024-25 में होला मेला मैड़ी से कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस बारे आगामी अंकेक्षण को वस्तुस्थित से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. राशि प्राप्ति / अनुदान की रसीदें जारी न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत समिति को किसी भी स्त्रोत अथवा अन्य तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप-3 में रसीद जारी करनी अनिवार्य है परन्तु पंचायत समिति अम्ब के लेखों के अवलोकन में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषत: आर.टी.जी.एस./ऑनलाइन बैंक प्राप्तियां के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नही की गई थी | अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व भविष्य में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए |

11 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार न रखा जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के प्रावधान के अनुसार पंचायत समिति, सचिव जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/जारी खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप-4 के अनुसार बनाये गये स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा। परन्तु पंचायत समिति अम्ब द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नही किया गया | अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

12 न्यायालयों में पंचायत समिति द्वारा दायर याचिकाओं के बारे में :-

सचिव, पंचायत समिति अम्ब द्वारा अंकेक्षण अधियाचना 98(I)/2025 दिनांक 09.07.2025 के प्रतिउत्तर में **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवांई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.25 तक Allotment of Shops से सम्बन्धित मामला माननीय न्यायालय में लम्बित है। अतः मामले में निर्णय प्राप्त होने पर तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए |

13 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार

सत्यापन नहीं किया गया था।अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है, कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

15 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 28.10.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष 0177—2626670

29 OCT 2025 का प्रति 6706—6709

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (5) 70/2022 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0प्र0।

पंजीकृत 4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 28.10.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009

का प्रति

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या

पंचायत समिति अम्ब, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	58319354.59	63,301,726	121621080.6	57,438,441	64182639.99

Checked

Surinder Kumar
सचिव
पंचायत समिति अम्ब
तह० अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)

17

पंचायत समिति अम्ब, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	21983253.59	1139613	23122866.59	1871043.6	21251822.99

अनुदान की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	17528972	50619750	68148722	47242364	20906358

होली मैडी मेला की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	5991255	423,001	6414256	0	6414256

15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	12815874	11,119,362	23935236	8,325,033	15610203

Checked

18

Surinder Kumar
सचिव
पंचायत समिति अम्ब
तह० अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)

परिशिष्ट "क-1" पैरा " " में संदर्भित :-

Reconciliation statement in r/o PanchayatSmitiAmbDistt. Una HP as on 31.03.2025

1	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि ()	
	Punjab & Sind Bank , Amb(Own)	01371000004244	683625.47	
	PNB Amb(Own)	3992000100001214	20681.00	
	PNB Amb(Own)	3992000100005955	96405.00	
	HDFC Amb(Own)	50100177593325	1842590.00	
	CBI Amb (HolaMelaMairi)	3242831416	6414256.50	
	ICICI Amb (15th fc)	237901000491	15610203.00	
	ICICI Amb (GIA)	237901000406	286603.00	
	ICICI Amb (GIA)	237901000517	15956983.00	
		योग	**40911346.97**	
2	Cash in hand as on 31.03.2025		6812.00	
3	Balance as per FDR Statement A/c as on 31.03.2025		12665990.00	
4	Total of savings A/c and FDR(1+2+3)		**53584148.97**	**53584148.97**
5	Balance as per cash book and Financial Position as on 31.03.2025			64182639.99
	Difference (4-5)			**10598491.02**

Sarinder Kumar
सचिव
पंचायत समिति अम्ब
तह० अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)

परिशिष्ट – ख   पैरा संख्या 5 के सन्दर्भ में

दिनांक 31.03.2025 तक सावधि जमा योजना में निवेशित राशि						
क्रम सं०	एफ़०डी०सं० व बैंक	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	ब्याज की दर (%)	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि (₹)
1	649057 Punjab & Sindh Bank Amb	30.03.2025	12,665,990	6.3	30.03.2026	13482998

Checked

Surinder Kumar
सचिव
पंचायत समिति अम्ब
तह० अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)

20

परिशिष्ट - डी   प्रश्न संख्या . 7) के उत्तर में,

Statement of Rent of Panchayat Samiti Amb for the Period 1-4-2024 to 31-3-2025

Sno	Name of Shopkeeper & his/her Father/Husband Name	Shop No.	Rate per Month	Outstanding Bal. as on 31.3.24	Demand of Rent for the period 1-4-24 to 31-3-25	Total	Amt. of Rent Recd from 1.4.24 to 31.3.25	Outstanding Bal. as on 31.3.25
A	**Chururu Complex**							
1	Narinder Kumar s/o Bhagwan	1	726	48828	8712	57540	0	57540
2	Narinder Kumar s/o Bhagwan	2	726	48828	8712	57540	0	57540
3	Prem Chand s/o Banta Ram	3	0	0	0	0	0	0
4	Jasvir Singh s/o Wattach Chand	4	726	54984	8712	63696	0	63696
5	Sanjeev Kumar s/o Pritam	5	726	57102	8712	65814	0	65814
6	Swarn Singh Dhillon s/o Gurdit	6	726	43302	8712	52014	49110	2904
7	Bhanu Bhushan s/o Rikhi Ram	7	726	24882	8712	33594	0	33594
8	Village Baheri	8	887	167618	10644	178262	0	178262
9	Sushil Kumar S/o Ashok Kumar	9	0	0	0	0		0
10	Rajinder Pal s/o Bihari lal Vpo	10	726	2178	8712	10890	8712	2178
				447722	**71628**	**519350**	**57822**	**461528**
B	**BDO COMPLEX**							
1	Dev Raj S/o Dhani Ram VPO	1	1770	33630	21240	54870	51330	3540
2	Reeta Kumari w/o Kuldeep	2	1289	24842	15468	40310	24491	15819
3	Som Raj s/o Mehar Chand	3	1068	3204	12816	16020	6408	9612
4	Vinod Kumar S/o Rajinder	4	1209	22971	14508	37479	26598	10881
5	Ashwani Kumar s/o Shubh	5	1153	3372	13836	17208	10400	6808
6	Ram Parkash s/o Hans Raj	6	1180	35293	14160	49453	0	49453
7	Parmod Kumar s/o Rajinder	7	1241	23579	14892	38471	27302	11169
8	Kamal Kishore s/o Satpal	8	2213	17704	26556	44260	0	44260
9	Arun Kumar s/o Pirthi Singh	9	886	4515	10632	15147	7974	7173
10	Ashwani Kumar s/o Pritam	10	806	77802	9672	87474	0	87474
11	Satpal Sharma s/o Hans Raj	11	1241	35535	14892	50427	39258	11169
12	Ashwani Kumar s/o Ram Nath	12	1241	29673	14892	44565	0	44565
13	Ritesh Kumar Sharma s/o	13	1132	9472	13584	23056	12430	10626
14	Mahesh Kumar s/o Mathura	14	1241	23579	14892	38471	0	38471
15	Ritesh Kumar Sharma s/o	15	1245	7470	14940	22410	12450	9960
16	Subhash Chand s/o Kanshi	16	1241	33946	14892	48838	26500	22338
17	Yash Pal s/o Pritam Chand	17	3221	87040	38652	125692	90110	35582
				473627	**280524**	754151	335251	418900

21

Surinder Kumar
सचिव
पंचायत समिति अम्ब
तह० अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)

C.E.O. - cum - B.D.O.
Panchayat Samiti Amb
Distt. Una (H.P.)

C	**NEHRI ROAD COMPLEX**							
1	Ram Sarup s/o Harnam Dass	1	849	62965	10188	73153	0	73153
2	Bidhi chand s/o Khushi Ram	2	1175	29268	14100	43368	0	43368
3	Rajesh Kumar s/o Mool Chand	3	1507	77005	18084	95089	30288	64801
4	Raghvir Singh s/o Bhagat Ram			0	0	0		0
5	Raghvir Singh s/o Bhagat Ram	4&5	3543	42516	42516	85032	42516	42516
6	Raj Kumar s/o Som Datt Village	6	1505	27090	18060	45150	36120	9030
7	Pardeep Kumar s/o Raghu nath	7	2036	121433	24432	145865	0	145865
8	Ajay Kumar s/o Sita Ram Village	8	1505	140504	18060	158564	0	158564
9	Pardeep Kumar s/o Raghu nath	9	1505	81225	18060	99285	0	99285
10	Yashpal s/o Gurdass Ram	10	1947	182950	23364	206314	0	206314
11	Ashwani Kumar s/o Shiv Ram,	11	1650	71100	19800	90900	0	90900
12	Sanjay Rajan s/o Mehar Singh	12	1991	4456	23892	28348	23892	4456
13	Suresh Arora s/o Aar Pee	13	1998	71928	23976	95904	43956	51948
14	Pardeep Sood s/o Ram Parsad	14		0	0	0		0
15	Pardeep Kumar s/o Raghu nath	15	4831	631284	57972	689256	72000	617256
16	Ashwani Kumar s/o Agya Ram	16	15500	0	186000	186000	295765	-109765
				1543724	**498504**	**2042228**	**544537**	**1497691**
D	**Residential Building Nehri**				0	0		0
1	Puneet Singh Rana	1	700	21000	10500	31500	31500	0
				21000	**10500**	**31500**	**31500**	**0**
			Sub Total	2486073	**861156**	**3347229**	969110	**2378119**
E	Shiv Kumar S/o Parkash Chand, Shed charges 2023-24 and 2024-25	1	750	0	18750	18750	8250	10500
	Sub Total + E			2486073	**879906**	**3365979**	977360	**2388619**

Surinder Kumar
सचिव
पंचायत समिति अम्ब
तह० अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)

C.E.O. - cum - B.D.O.
Panchayat Samiti Amb
Distt. Una (H.P.)

22

परिशिष्ट - घ - प्रश्न संख्या - 12 के संदर्भ में

List of court Cases of Panchayat Samiti Amb District Una HP Pending for Judgement/ Settlement as on Dated 31/03/2025.

Sr. No.	Title of Case	Status	Remarks
1	Sandeep Sharma v/s State of HP & Others	Pending	Shop Rent

Surinder Kumar
सचिव
पंचायत समिति अम्ब
तह० अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)

C.E.O. - cum - B.D.O.
Panchayat Samiti Amb
Distt. Una (H.P.)

23